न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्याः– 53 / 2018

प्रार्थीगण **बनाम** **अप्रार्थीगण**

1. रमेश पुत्र गणेशराम
   जाति सीरवी, निवासी बर्फो की
   बावड़ी, हर्ष रोड़ बिलाड़ा
2. श्रीमति मालीदेवी पत्नी रूपाराम
   जाति सीरवी, निवासी हनुमान मंदिर
   के पास जैतीवास मार्ग बिलाड़ा
   तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर

1. श्रीमति सन्तोष पत्नी रामलाल
   जाति कुमावत निवासी लौटोती
   तहसील जैतारण जिला पाली
2. श्रीमति विद्यादेवी पत्नी पारसराम
   जाति जाट निवासी भावी,
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
3. श्रीमति रूकमा पत्नी चेतनप्रकाश
   जाति पटेल निवासी बेरीवाला
   बास बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
4. हिम्मताराम पुत्र पुरखाराम
   जाति सीरवी, निवासी बर्फो की
   बावड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
5. राकेश बर्फा पुत्र गणेशराम
   जाति सीरवी निवासी बर्फो की
   बावड़ी बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा
   जिला जोधपुर
6. श्रीमति सन्तोष पत्नी नारायणराम
   जाति सीरवी, निवासी बर्फो की
   बावड़ी हर्ष रोड़ बिलाड़ा,
   तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर
7. श्रीमति तारा पत्नी लक्ष्मणराम
   जाति कुम्हार निवासी गायत्री
   कॉलोनी बिलाड़ा, तहसील
   बिलाड़ा जिला जोधपुर
8. श्रीमति भंवरीदेवी पत्नी धर्माराम
   जाति पटेल निवासी डयों का
   अरठ वार्ड संख्या 20 बिलाड़ा,
   तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
9. राजस्थान सरकार जरिये
   तहसीलदार बिलाड़ा जिला
   जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 से 2 व 7 की ओर से श्री जी.एल.कंसारा एडवोकेट।
अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6, 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी संख्या 9 सरकारी पैरोकार।

:: आदेश :: दिनांक 27/3/2023

संक्षेप में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी पुरखाराम पुत्र धूलाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम पिसरान पुरखाराम जातियान सीरवी निवासीगण बर्फो की बावडी बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार पुरखाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम ने आपसी सहमति से भूमि का बंटवाड़ा कर अपनी भूमि को कृषि भूखण्डों के रूप में विभक्त कर दिया एवं विभक्तसुदा कृषि भूखण्डों में आने जाने हेतु का रास्ता रख दिया। जो कृषि भूखण्डों का नजरी नक्शा दावे के साथ संलग्न है जिसे मार्क ABCDEFGHIJKL के रूप में दर्शाया गया है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा की खातेदारी पुरखाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। खातेदार पुरखाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर रास्ता इत्यादि छोडकर कृषि भूखण्ड आदि काट दिये। खातेदार पुरखाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम की खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा यानि 17424 वर्गफुट खातेदारी की थी, जिसमें से तीनो खातेदारों ने आपसी सहमति से कृषि भूखण्डो में आने जाने हेतु का 30X164 यानि 4920 वर्गफुट भूमि रास्ते हेतु छोड दी गयी। इस प्रकार तीनों खातेदारों की कुल 17424 वर्गफुट भूमि में से 4920 वर्गफुट भूमि रास्ता इत्यादि छोडने के बाद खातेदार पुरखाराम, चन्दाराम, हिम्मताराम के खाते में 12504 वर्गफुट भूमि शेष बची थी। जिसके आधार पर खातेदार पुरखाराम के बंट में 1/3 हिस्सा यानि 4168 वर्गफुट तथा 1/3 हिस्सा यानि 4168 वर्गफुट भूमि चन्दाराम के तथा 1/3 हिस्सा यानि 4168 वर्गफुट भूमि हिम्मताराम के बंट में आ गयी। खातेदार पुरखाराम के बंट में 4168 वर्गफुट भूमि जो नजरी नक्शा में दर्शायें मार्क EFGH की हिस्से की आयी, जिसे खातेदार पुरखाराम ने अपना कृषि भूखण्ड नजरी नक्शा में वर्णित मार्क EFGH को दलाराम पुत्र केसाराम जाति सीरवी निवासी बासना तहसील सोजत सिटी जिला पाली को दिनांक 08.06.2016 को रजिस्टर्ड बैचाननामा के जरिये निष्पादित करवा दिया एवं कृषि भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द कर दिया। रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर पुरखाराम के स्थान पर दलाराम के नाम से म्यूटेशन संख्या 2313 स्वीकृत किया गया और राजस्व रेकर्ड में खातेदार इन्द्राज किया गया। उसके बाद खातेदार दलाराम ने अपने कृषि भूखण्ड को दिनांक 10.05.2018 को रजिस्टर्ड बैचाननामा प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित कर दिया, लेकिन बैचाननामा फुटो में करवा दिये जाने के कारण राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी के नाम भूमि इन्द्राज नही की जा सकी लेकिन उपरोक्त बैचाननामा के कृषि भूखण्ड पर वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज हो गये। जिसके कृषि भूखण्ड के नाप व पड़ौस निम्नानुसार है :-

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उत्तर दिशा :– निकाल व 30 फुट रास्ता
दक्षिण दिशा :– अन्य भूमि स्थित
पूर्व दिशा :– सतोष सीरवी का भूखण्ड
पश्चिम दिशा :– भंवरीदेवी का भूखण्ड
नाप 46.56X65 = 3029 वर्गफुट

इसी तरह खातेदार हिम्मताराम, चन्दाराम के बंट में 2/3 हिस्से की 8236 वर्गफुट भूमि आयी थी, जो नजरी नक्शा मार्क ABCDIJKL की भूमि है। जिसका खातेदार हिम्मताराम ने अपने बंटशुदा कृषि भूखण्ड के तीन अलग अलग बैचाननामा निष्पादित किये, जो प्रथम बैचाननामा हिम्मताराम, चन्दाराम ने अपने कृषि भूखण्ड मार्क ABCD का अप्रार्थी संख्या 5 राकेश बर्फा के पक्ष में करवा दिया एवं मौके पर कब्जा सुपुर्द करवा दिया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 5 राकेश बर्फा ने अपनी खरीदशुदा भूखण्ड जो नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ABCD की 1200 वर्गफुट भूमि के चारों और नीवों को भरकर हत्था का निर्माण करवा दिया, उक्त बैचाननामा के नाप व पड़ौस निम्नानुसार है :–

उत्तर दिशा :– निकाल व 30 फुट रास्ता।
दक्षिण दिशा :– अन्य खसरे की भूमि स्थित।
पूर्व दिशा :– खसरा नम्बर 1015 की भूमि स्थित है।
पश्चिम दिशा :– इसी खसरे में से बची हुई भूमि स्थित है।
नाप 20X60 = 1200 वर्गफुट

इसी प्रकार खातेदार हिम्मताराम ने अपने बंट का दूसरा बैचाननामा अपने कृषि भूखण्ड ब्लाक मार्क CDEF का अप्रार्थी संख्या 6 सन्तोष बर्फा के पक्ष में दिनांक 21.06.2016 को रजिस्टर्ड करवा दिया एवं मौके पर भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द कर दिया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 6 सन्तोष बर्फा ने अपने खरीदसुदा भौतिक रूप से कब्जे के अनुसार भूखण्ड का जो नजरी नक्शा में वर्णित भूमि मार्क CDEF की वर्गफुट भूमि के चारों ओर हत्था का निर्माण करवा दिया, उक्त बैचाननामा के नाप व पड़ौस निम्नानुसार है :–

उत्तर दिशा :– इसी खसरे में से 30 फुट छोडा गया रास्ता व निकाल।
दक्षिण दिशा :– अन्य खसरे की भूमि स्थित।
पूर्व दिशा :– राकेश बर्फा को बेचा गया भूखण्ड।
पश्चिम दिशा :– इसी खसरे की शेष बची भूमि स्थित है।
नाप 25X60 = 1500 वर्गफुट

इसी प्रकार खातेदार हिम्मताराम ने अपने बंट का तीसरा बैचाननामा अपने कृषि भूखण्ड ब्लाक मार्क IJKL का अप्रार्थी संख्या 7 श्रीमति तारा के पक्ष में दिनांक 21.06.2016 को रजिस्टर्ड करवा दिया एवं मौके पर भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द कर दिया, तारा देवी के भूखण्ड के चारों तरफ नीवे खुदी हुयी है जिसके नाप व पड़ौस निम्नानुसार है :–

उत्तर दिशा :– इसी खसरे में से 30 फुट छोडा गया रास्ता व निकाल।
दक्षिण दिशा :– अन्य खसरे की भूमि स्थित।
पूर्व दिशा :– इसी खसरे की बची भूमि स्थित है।
पश्चिम दिशा :– निकाल व 30 फुट चौडा रास्ता व भंवरीदेवी का भूखण्ड है।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

नाप 62X25 = 1550 वर्गफुट

खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा में से खातेदार चन्द्राराम ने अपने हिस्से में आया कृषि भूखण्ड ब्लाक जो नजरी नक्शा में वर्णित GHIJ को अप्रार्थी संख्या 8 श्रीमति भंवरीदेवी को रजिस्टर्ड करवा दिया एवं मौके पर भूखण्ड का कब्जा सुपुर्द कर दिया, अप्रार्थी संख्या 8 श्रीमति भंवरीदेवी के कृषि भूखण्ड पर चारो और हत्था का निर्माण किया हुआ है तथा फाटक लगी हुयी है। जिसके नाप व पड़ौस निम्न अनुसार है :–

उत्तर दिशा :– इसी खसरे में से 30 फुट छोडा गया रास्ता व निकाल।

दक्षिण दिशा :– अन्य खसरे की भूमि स्थित।

पूर्व दिशा :– इसी खसरे की बची भूमि स्थित है।

पश्चिम दिशा :– तारा पत्नी लक्ष्मणराम कुम्हार को बेचा गया भूखण्ड

नाप 45.8X60 = 2748 वर्गफुट

खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा में से 4168 वर्गफुट भूमि अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम के बंट में आयी थी, जिसे अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने अलग अलग तीन बैचाननामा क्रमशः अप्रार्थी संख्या 5 को 600 वर्गफुट तथा अप्रार्थी संख्या 7 को 1550 वर्गफुट तथा अप्रार्थी संख्या 6 को 1500 वर्गफुट भूमि का बैचान कर दिया गया था, इस प्रकार तीनों बैचाननामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 ने 4168 वर्गफुट भूमि में से 3650 वर्गफुट भूमि का बैचान कर दिया गया था एवं अप्रार्थी संख्या 4 के खाते में मात्र 518 वर्गफुट भूमि ही शेष बची थी, लेकिन तीनों बैचाननामा का नाप फुटो में लिखा होने के कारण राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नही किया जा सका, लेकिन तीनो खरीददार का अपने हिस्से के कृषि भूखण्ड पर वास्तविक व भौतिक रूप से काबिज हो गये। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम को इस तथ्य की जानकारी थी कि उसके द्वारा कृषि भूखण्ड संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ABCD, CDEF, IJKL की कुल 4168 वर्गफुट भूमि में से 3650 वर्गफुट भूमि का बैचान अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 को किया जा चुका था। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम के पास अप्रार्थी संख्या 1 को 03.443 बिस्वा भूमि विक्रय के लिये उपलब्ध ही नही थी, इस भूमि को अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 को तीन अलग–अलग बैचान के जरिये रजिस्टर्ड करवा दी थी। अतः अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम द्वारा पूर्व में ही अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7 को भूमि बैचान कर दी गयी तो उसी भूमि को पुनः अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बैचान करने का कोई अधिकार नही था। अतः अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा 03.443 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया विक्रय विलेख दिनांक 14.09.2017 से कोई हक हासिल नही होता है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 2, 3 को हक हासिल होता है। अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति संतोष दिनांक 14.09.2017 के बाद भूखण्ड पर कब्जा करने हेतु कई बार मौके पर गुण्डों को साथ लेकर आयी, लेकिन मौके पर पूर्व से ही प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 5 से 8 का भूमि पर कब्जा था, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति सन्तोष कृषि भूखण्ड पर कब्जा करने में सफल नही हो सकी तो उसने अपना राजस्व रेकर्ड में नाम इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाने हेतु तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 5 से 8 की भूमि को हड़पने हेतु अप्रार्थी संख्या 5, 6, 7, 8 तथा प्रार्थी

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी

संख्या 2 के विरूद्ध माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का राजस्व वाद पे"ा कर दिया एवं उस राजस्व वाद के साथ धारा 212 राजस्थान टीनेंसी एक्ट का प्रार्थना पत्र पे"ा किया। राजस्व वाद संख्या 56/2018 अनवान श्रीमति संतोष बनाम दलाराम तथा राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 35/2018 में प्रार्थी संतोष ने भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा के सयुक्त खातेदार हिम्मताराम द्वारा अपने द्वारा किये गये पूर्व में तीन बैचाननामा के महत्वपूर्ण तथ्य व हिम्मताराम द्वारा कितना रकबा बैचान किया गया का हिस्सा दावा में नही होना बताया के इस महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाकर अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 21.06.2018 को प्राप्त किया और उसके अगले ही दिन दिनांक 22.06.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 व उसके साथ करीब दस व्यक्ति मौके पर भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से आ गये, लेकिन मौके पर प्रार्थीगण ने किसी प्रकार का कोई कब्जा नही करने दिया गया तो अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगड़ा करने पर उतारू हो गयी। मौके पर आस पड़ौस के लोग इकट्ठा हुये और दोनो के दस्तावेज देखे गये तो मौजीज व्यक्तियों ने अप्रार्थी संख्या 1 को समझाया कि आपको हिम्मताराम ने भूखण्ड दूबारा बैच दिया है, हिम्मताराम अपने हिस्से की भूमि को पूर्व में ही बैच चुका है, आप हिम्मताराम के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करे। जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 को यह भली भाति जानकारी हो गयी कि अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने उसके साथ धोखा कर रूपये ऐठ लिए है तो अप्रार्थी संख्या 1 के मन में यह खिन्नता पैदा होने लगी कि येन केन प्रकारेण इस भूखण्ड को बेचकर अपने रूपये पुनः प्राप्त करने है। इस उदेश्य की पूर्ति करने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने भूखण्ड को बैचान करने हेतु भूमाफियाओं से सम्पर्क किया और अपना भूखण्ड बैचान करने की बात कही गयी। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2, 3 व उनके पति अप्रार्थी संख्या 1 के सम्पर्क में आये और उन्होने अप्रार्थी संख्या 1 से कृषि भूखण्ड बैचान की इच्छा जतायी तो, अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2, 3 तथा उनके पति पारसराम, चेतनप्रकाश को कहा कि न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष राजस्व वाद संख्या 56/2018 एवं उसके साथ राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 35/2018 पेश किया हुआ है, तथा स्थगन आदेश पारित किया हुआ है तथा भूखण्ड पर कोई कब्जा नही है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2, 3 ने अप्रार्थी संख्या 1 को विश्वास दिलाया कि आप न्यायालय से केस को हटाकर भूखण्ड का बैचान हमारे पक्ष में कर दो, हम भूखण्ड पर कब्जा कर लेंगे हमारी भूमाफियाओं से ऊठ बैठ है, उन्हे रूपये देकर काम बनवा लेंगे। इसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 ने माननीय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा के समक्ष चल रहा राजस्व वाद संख्या 56/2018 को दिनांक 31.08.2018 को जरिये विड्रावल खारिज करवा दिया एवं उसी दिन दिनांक 31.08.2018 को अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2, 3 के पक्ष में बैचाननामा निष्पादित करवा दिया। प्रार्थी संख्या 1 जोधपुर में दूकान करता है तथा प्रार्थी संख्या 2 अपने पति के साथ बैंगलोर में रहती है। प्रार्थी संख्या 1, 2 का बिलाडा से बाहर रहने का

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नाजायज फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं उसके साथ करीब बीस तीस गुण्डे दिनांक 04.09.2018 को विवादित भूखण्ड पर कब्जा करने की नियत से आये और भूखण्ड पर कब्जा करने की कोशिश की गयी तो विवादित भूखण्ड के पास में ही बेरे पर निवास कर रहे प्रार्थीगण के रिश्तेदार राकेश, डावरराम, फाऊदेवी, शान्तिदेवी आये और भूखण्ड पर कब्जा करने से मना किया तो अप्रार्थी संख्या 2, 3 एवं उसके साथ आये हुए गुण्डों ने राकेश, डांवरराम, फाऊदेवी, शान्तिदेवी के साथ जोरदार मारपीट करनी शुरू कर दी एवं आस पड़ौस के लोगो ने बीच बचाव कर छुडवाया। जिस पर प्रार्थीगण के रिश्तेदार डांवरराम ने अप्रार्थी संख्या 2, 3 तथा उसके साथ आये असामाजिक तत्वों के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 267/2018 अपराध अन्तर्गत धारा 143, 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता की दर्ज करवायी, जिसका अनुसंधान अभी पुलिस के समक्ष विचाराधीन चल रहा है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1023 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा स्थित है, जिसकी सयुक्त खातेदारी अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने अपने 1/3 हिस्से की सयुक्त खातेदारी भूमि को गोविन्दराम पुत्र पुरखाराम जाति सीरवी निवासी बेरा पंवारों की ढीमड़ी बिलाडा तहसील बिलाड़ा को बैचान कर दिया एवं बैचान के पेटे पॉच लाख रूपये प्राप्त कर गोविन्दराम सीरवी के पक्ष में इकरारनामा लिख दिया। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम द्वारा गोविन्दराम सीरवी के पक्ष में इकरारनामा निष्पादित करने के बावजूद भी अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने अपने 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि का बैचाननामा शारदादेवी मेहतर के पक्ष में निष्पादित करवा दिया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम द्वारा गोविन्दराम सीरवी के पक्ष में अपनी खातेदारी भूमि का बैचान इकरारनामा करने के बावजूद भी अपनी भूमि को आगे बैचान कर दिया तो गोविन्दराम सीरवी ने अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29 दिनांक 07.02.2015 को अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 468 भारतीय दण्ड संहिता की दर्ज करवायी। बाद अनुसंधान पुलिस ने अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम को गिरफ्तार किया और जेल में बन्द किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 करीब दो माह तक जेल में बंद रहा और अप्रार्थी संख्या 4 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश जोधपुर से जमानत मिल पायी थी। मौजूदा मामलें मे अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने अपनी कृषि भूमि को कृषि भूखण्ड के रूप में विभक्त किया और अपने कृषि भूखण्डों को अप्रार्थी संख्या 5 से 8 एवं प्रार्थीगण को बैचान कर दिया था, फिर भी अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम ने लोभ लालच में आकर अप्रार्थी संख्या 1 श्रीमति संतोष को अपने हिस्से से ज्यादा भूमि का बैचान कर दिया है। इससे साबित हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम की नीति शुरू से अपनी कृषि भूमि को पहले कृषि भूखण्डों के रूप में बेचता है तथा उन्ही कृषि भूखण्डों को दूबारा रूपयों के लोभ लालच में आकर पुनः भूमाफियाओं को बैच देता है, जो नीति उसकी शुरू से ही बेईमानी की थी एवं उसने छल कर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में अपनी भूमि का दूबारा बैचान बीना कब्जे का किया है। इस प्रकार

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अप्रार्थी संख्या 1 का दूबारा बैचान पक्ष का होने से उसको किसी भूमि में हक प्राप्त नही होता है एवं न ही अप्रार्थी संख्या 2, 3 को हक हासिल होता है। ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा आयी हुयी है। उक्त भूमि पुरखाराम, चन्द्राराम, हिम्मताराम की सयुक्त खातेदारी की थी, जिसमें पुरखाराम, चन्द्राराम, हिम्मताराम ने आपसी सहमति से अपनी कृषि भूमि को छोटे बड़े कृषि भूखण्डों के रूप में विभक्त कर दिया। जिसके अनुसार खातेदार पुरखाराम के हिस्से में नजरी नक्शा में वर्णित मार्क EFGH की भूमि बंट में आयी। खातेदार पुरखाराम ने दिनांक 08.06.2016 को अपनी सम्पूर्ण भूमि का जरिये बैचाननामा दिनांक 08.06.2016 को दलाराम सीरवी को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दलाराम सीरवी ने प्रार्थीगण को भूमि का बैचान कर दिया तब से प्रार्थीगण सदभावी खरीददार है। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम का पुरखाराम के हिस्से की भूमि पर कोई संबंध नही है तथा न ही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पुरखाराम की भूमि पर किसी प्रकार को कोई उज्र एतराज करने का कोई अधिकार ही है। प्रार्थीगण ने पुरखाराम से जरिये भूमि को खरीद किया है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का कोई हक व अधिकार नही बनता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी भूमि को खातेदारी घोषणा कराकर एवं उनका बंटवाडा कराने, स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। न ही प्रार्थीगण की भूमि में किसी प्रकार का दखल या अवरोध पैदा करने का अधिकार अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को है। प्रार्थीगण ने मौजूदा वाद/प्रार्थना पत्र से पूर्व माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का राजस्व वाद संख्या 90/2018 का पेश किया, जिसमें प्रार्थीगण ने विवादित भूमि को अन्य खातेदारों को पक्षकार नही बनाया था इस कारण प्रार्थीगण ने राजस्व वाद संख्या 90/2018 को नया दावा पेश करने की अनुमति के जरिये दावे को विड्रावल खारीज करवा दिया गया, इस कारण यह मौजूदा दावा/विविध प्रार्थना पत्र पेश किया गया प्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि का सदभावी खरीददार होने से प्रथम दृष्टया केस प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण काबिज होने से तुलनात्मक सुविधा प्रार्थीगण के हक में है, अगर प्रार्थीगण के कृषि भूखण्ड जो नजरी नक्शा में वर्णित EFGH पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी की गयी तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा और उनका यह दावा करना ही निरर्थक हो जायेगा।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम बिलाड़ा चक संख्या 4 तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा में (विविध प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णित मार्क EFGH) की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न अन्य किसी से करावे। मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाने का आदेश फरमावे। अन्य आदेश जो प्रार्थीगण के पक्ष में हो पारित फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 7 की ओर से श्री गिरधारीलाल कंसारा अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 4, 6, 8 व 3 को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 3, 4, 6 व 8 न तो स्वयं उपस्थित हुए व न ही इनका कोई प्रतिनिधि/अधिवक्ता उपस्थित हुए, इसलिए अप्रार्थी संख्या 4, 6 व 8 के विरूद्ध तारीख पेशी दिनांक 05.08.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी तथा अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध तारीख पेशी 22.10.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 7 के अधिवक्ता को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किये गये लेकिन इनकी ओर से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थी संख्या 1, 2, 5 व 7 का जवाब बंद किया गया ओर पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गयी।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को विधि द्वारा स्थापित निम्न तीन बिन्दुओं को तय करना है :-

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति :- ग्राम बिलाड़ा चक सं. 4 तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा संख्या 1016 रकबा 1 बीघा आयी हुयी है। उक्त भूमि पुरखाराम, चन्द्राराम, हिम्मताराम की सयुक्त खातेदारी की थी, जिसमें पुरखाराम, चन्द्राराम, हिम्मताराम ने आपसी सहमति से अपनी कृषि भूमि को छोटे बड़े कृषि भूखण्डों के रूप में विभक्त कर दिया। जिसके अनुसार खातेदार पुरखाराम के हिस्से में नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ई.एफ.जी.एच. की भूमि बंट में आयी। खातेदार पुरखाराम ने दिनांक 08.06.2016 को अपनी सम्पूर्ण भूमि का जरिये बैचाननामा दिनांक 08.06.2016 को दलाराम सीरवी को कर दिया। उक्त रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर दलाराम सीरवी ने प्रार्थीगण को भूमि का बैचान कर दिया तब से प्रार्थीगण सद्भावी खरीददार है। अप्रार्थी संख्या 4 हिम्मताराम का पुरखाराम के हिस्से की भूमि पर कोई संबंध नही है तथा नही अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को पुरखाराम की भूमि पर किसी प्रकार को कोई उज्र एतराज करने का कोई अधिकार ही है। प्रार्थीगण ने पुरखाराम से जरिये भूमि को खरीद किया है तथा प्रार्थी उक्त मार्क ई.एफ.जी.एच. भूमि का रजिस्टर्ड क्रेता है। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। इसलिए जब तक मूल वाद निस्तारण नही हो जाता तब तक वादग्रस्त भूमि को संरक्षित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है क्योकि प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में से मार्क ई.एफ.जी.एच. प्रार्थीगण खरीदसुदा

सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

भूमि होना प्रतीत होता है। इसलिए मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त कृषि भूमि कें रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है।

—:: आदेश ::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला दावा अप्रार्थी संख्या 1 सें 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 4 तहसील बिलाड़ा के खसरा नम्बर 1016 रकबा 1 बीघा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा में वर्णित मार्क ई.एफ.जी.एच. की भूमि पर किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं तथा न ही किसी अन्य से करावे तथा उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा को आदेश का भाग समझा जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपरोक्त पत्रावली मूलवाद के साथ नथी हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 27/3/23 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा